

भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता मामले विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3624
जिसका उत्तर मंगलवार, 10 दिसम्बर, 2019 को दिया जाएगा

उपभोक्ता अधिकार

3624. डॉ. अमर सिंह:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या हमारे देश के उपभोक्ता अपने अधिकारों के बारे में शिक्षित हैं;
- (ख) सरकार द्वारा इन अधिकारों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और
- (ग) क्या सरकार ने देश भर के उपभोक्ता न्यायालय मामलों की धीमी प्रक्रिया पर ध्यान दिया है और यदि हां, तो इन मामलों के समाधान के लिए एक समय-सीमा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्री दानवे रावसाहेब दादाराव)

- (क) और (ख): उपभोक्ता मामले विभाग वर्ष 2005 से प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और आउटडोर मीडिया के माध्यम से विविध विषयों पर पूरे देश में उपभोक्ता अधिकारों और उत्तरदायित्वों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर “जागो ग्राहक जागो” नामक मल्टीमीडिया अभियान चलाता है। विभाग विभिन्न मेलों/ त्यौहारों/ आयोजनों में भी भाग लेता है जहां पूरे देश से विशेषकर ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग भाग लेते हैं। उपभोक्ताओं में जागरूकता पैदा करने के लिए सोशल मीडिया मंचों का उपयोग भी किया जा रहा है। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में सहायता अनुदान भी रिलीज किए जाते हैं ताकि स्थानीय स्तर पर क्षेत्रीय भाषाओं में उपभोक्ताओं को जागरूक किया जा सके।
- (ग): उपभोक्ता मंचों द्वारा मामलों के त्वरित निपटान के लिए केंद्र सरकार अध्यक्ष तथा सदस्य की रिक्तियों को भरने के लिए अग्रिम कार्रवाई करने हेतु राज्य सरकारों को पत्र लिखती रही है ताकि अध्यक्ष और सदस्यों की रिक्ति के कारण किसी भी उपभोक्ता मंच में काम न रुके। इसके अतिरिक्त, मामलों के त्वरित निपटान के लिए राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोगों द्वारा सर्किट बेंच के आयोजन, गर्मी की छुट्टियों में राष्ट्रीय आयोग द्वारा सीटिंग के आयोजन, एकल सदस्यों वाले बेंचों के गठन और राष्ट्रीय आयोग द्वारा समान प्रकृति के मामलों को एकत्र करने जैसे विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं।
